Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Refund of loan from Ircon Vadodara Kim Expressway Limited (IrconVKEL) / सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत प्रकटकरण- इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (IrconVKEL) से ऋण की वापसी

Dear Sir/Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and in continuation to our letter even no. dated 30th June, 2021, regarding intimation about Corporate Guarantee furnished to Bank of Baroda for loan to Ircon Vadodara Kim Expressway Limited (IrconVKEL) (a wholly owned subsidiary of IRCON), it is to inform that IrconVKEL has repaid the total outstanding loan of Rs.589.50 Crore to Ircon International Limited.

Please take note of above information on record.

सेबी (सूचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार और हमारे पत्र 30 जून, 2021 जिसमें इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (IrconVKEL) (इरकॉन की पूर्ण समस्त वाली सहायक कंपनी) का ऋण के लिए बैंक ऑफ बिंडोरा को दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के बारे में सुचित किया गया था के संदर्भ में, यह सुचित किया जाता है कि (IrconVKEL) ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का 589.50 रुपये करोड़ का बकाया ऋण वापस कर दिया है।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें

भव्यतादार, भव्यतादार,
कृतेज इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(रिष्ट अरोड़ा)
कम्पानी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता क्र.: FCS 5270